न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 517/2018

निर्णय दिनांक :– 14.08.2020

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. नाथू पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रतनलाल पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. टुण्डा पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. मदन पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. कालू पुत्र रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. कानी पुत्री रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. लाडबाई पत्नी कालूलाल जाति गुर्जर निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज

– **प्रार्थीगण**–

बनाम

1. जगदीश पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. लड्डू पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. थानादार पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. रामप्यारी बेवा बजरंगा जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. निर्मला पत्नी रामफूल जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. चेतन पुत्र रामफूल जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. इन्द्रा पुत्री रामफूल जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. कन्या पुत्री रामफूल जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. श्रीकिशना पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक राज0

12. सत्यनारायण पुत्र सज्जन जाति हरिजन निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
13. मुन्नी पुत्री सज्जन जाति हरिजन निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
14. शांति पत्नी सज्जन जाति हरिजन निवासी बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पंचायत समिति कैम्प कोर्ट में पेश हुई। प्रार्थीगण व अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजयित ख. नं. 733 रकबा 0.22 है0, ख. नं. 734 रकबा 0.01 है0, गै0 मु0 चाह, ख. नं. 735 रकबा 0.41 है0, ख. नं. 736 रकबा 0.21 है0, ख. नं. 732 रकबा 0.15 है0, ख. नं. 737 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 739 रकबा 0.20 है0, वाके ग्राम बालागढ तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण वर्षो से ख. नं. 744 रकबा 0.29 है0 के पश्चिमी दिशा की तरफ से मेर पर होकर आते जाते रहे है। मौके पर रास्ता मौजूद था उसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेतो को काश्त करने तो थे तथा खेती सम्बन्धित सामान ट्रेक्टर आदि भी उसी रास्ते से जे जाते थे। हाल ख. नं. 744 प्रतिपक्षीगण नं. 10 की खातेदारी में अंकित है आज से एक माह पूर्व प्रतिपक्षी सं. 9 ने अन्य प्रतिपक्षीगण 1 ता 8 व 10 की सहायता से उक्त रास्ते को बन्द करके अपने खेत मे मिला लिया जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खेतो में जाने से मेहरूम हो गये अर्थात बड़ी मुश्किल से अपनी खातेदारी खेतो में आ जा रहे है। वर्तमान में प्रार्थीगण के खातेदारी के खेतो में जाने के लिए कोई

दि.२४

वैकल्पिक रास्ता नही है जिसके कारण प्रार्थीगण के खेत पड़त पडे हुए है यदि समय पर फसल काश्त नही की गई तो प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान होगा। इस कारण प्रार्थीगण को हाल ख. नं. 744 के पश्चिमी दिशा की तरफ 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जावे जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेतो में जा सके और समय पर फसल बो सके। प्रार्थीगण डीएलसी रेट से दुगनी राशि अदा करने को तैयार है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगर्णगण संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 12 ता 14 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए लिखा है कि ख. नं. 1433/749 की पश्चिमी दिशा की तरफ साढे चार मीटर चौड़ा व 76 मीटर लम्बा कुल 342 वर्गमीटर जमीन में से रास्ता दे दिया जावे तो प्रतिपक्षीगण को कोई एतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 11 तहसीलदार दूनी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:- प्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 732, 733, 734, 735, 736,737, 739 पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की खसरा नम्बर 744 में चौडाई 4.5 मीटर तथा लम्बाई 112 कुल क्षैत्रफल 504 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1433/749 में चौडाई 4.5 मीटर तथा लम्बाई 76 कुल क्षैत्रफल 342 वर्गमीटर, व खसरा नम्बर 850 में चौडाई 4.5 मीटर तथा लम्बाई 52 कुल क्षैत्रफल 234 वर्गमीटर कुल 1080 वर्ग मीटर है। अन्य खसरा नम्बर 750 चरागाह है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर 313830/- रू0 प्रति हैक्टेयर है। डी0एल0सी0 दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 67,781/- होती है। प्रार्थीगणो की आराजी ख. नं. 732 रकबा 0.09 है0, 739 रकबा 0.20 है0 नाथूलाल पि0 मोतीलाल व लाडबाई पत्नी कालूराम कोम

गुर्जर के नाम तथा ख. नं. 733 रकबा 0.22 है0, ख. नं. 734 रकबा 0.01 है0, 735 रकबा 0.41 है0 736 रकबा 0.21 है0 नाथू, रतनलाल, टूण्डा मदन पि0 मोती हिस्सा 1/2 कालू पुत्र कानी पुत्री रामकुंवार हिस्सा 1/2 कालू पुत्र कानी पुत्री रामकुंवार हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ख. नं. 744 से रास्ता चाहता है। मौके पर रास्ता ख. नं. 780 जो गै0 मु0 सड़क से ख. नं. 750 जो चारागाह है में से ख. नं. 1433/742 जो कि सज्जन पि0 भूरा शान्ति पत्नी सज्जन कोम हरिजन सा0 देहं के नाम खातेदारी दर्ज है, में से ख. नं. 744 में होकर प्रार्थी आराजी तक पहुंचेगा। प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से अंकित किया गया है। उक्त रास्ता ख. नं. 750 में से होकर निकलेगा, जो कि चारागाह भूमि है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार, संरचना नही है। अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। मौका रिपोर्ट जमाबंदी, व नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 14 ने प्रार्थना पत्र अनुसार व तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की तरमीम हेतु प्रार्थना की और कथन किया कि इसके लिए प्रार्थीगण तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अथवा हाल डी.एल.सी की दुगनी राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण को आवश्यकता आत्यन्तिक है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण की आराजी पड़त रह जायेगी जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार को काफी नुकसान होगा। अतः माननीय न्यायालय प्रार्थना है कि तहसीलदार दूनी के रिपोर्ट अनुसार रास्ते की तरमीम हेतु आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगर्णगण की बहस अनुसार

जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के ख. नं. 733 रकबा 0.22 है0, ख. नं. 734 रकबा 0.01 है0, गै0 मु0 चाह, ख. नं. 735 रकबा 0.41 है0, ख. नं. 736 रकबा 0.21 है0, ख. नं. 732 रकबा 0.15 है0, ख. नं. 737 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 739 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम बालागढ़ तहसील दूनी में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एंकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तथा अप्रार्थी 12 ता 14 प्रार्थना पत्र बाबत अपने जवाब व बहस में सहमति दी। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी को आदेश दिया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 744 में चौड़ाई 4.5 मीटर एवं लम्बाई 112 मीटर अर्थात 504 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1433/749 में चौड़ाई 4.5 मीटर एवं लम्बाई 76 मीटर अर्थात 342 वर्गमीटर कुल 846 वर्ग मीटर, डीएलसी दर 313830/– रू0 प्रति हैक्टेयर है, जिसके अनुसार 846 वर्गमीटर की डीएलसी की दुगनी प्रतिकर राशि 53095/– रू0 अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर उक्तानुसार रास्ते की तरमीम करे, बाद तरमीम यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार प्रदान करे एवं की गई तरमीम सहित रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली